संख्या 126 /64-2-2014

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 20 फरवरी, 2014

विषयः दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आनलाइन आवेदन पत्रों का परीक्षण राज्य स्तर पर किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 637/64-2-2013-1(छात्रवृत्ति)/2013, दिनांक 20 नवंबर, 2013 द्वारा उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2013 प्रख्यापित की गई है, जिसके प्रस्तर-12 (2) में आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने का प्राविधान है। शासनादेश संख्या-641/64-2-2013 दिनांक 02 दिसंबर, 2013 द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं से आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अन्तिम तिथि 31.12.2013 तक प्राप्त आवेदन-पत्रों को जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को सत्यापित एवं अग्रसारित किया गया है। उक्त नियमावली के प्रस्तर-12 (8) में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की स्वीकृति से पूर्व अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ जमा किये गये आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन राजस्व परिषद उ0प्र0 की वेबसाइट से एवं प्रत्येक छात्र के बैंक खाता, बैंक शाखा एवं आई0एफ0एस0 कोड का मिलान जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा किये जाने का प्राविधान है। समस्त जनपदों में नियमावली के उक्त प्राविधानों के अनुसार छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्रों की जांच कर ली गयी होगी फिर भी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ के स्तर पर जनपदों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के डाटा का पुनर्परीक्षण निम्नलिखित विन्दुओं पर कर लिया जाय :-

1- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदनकर्ताओं के हाईस्कूल के अनुकमांक, वर्ष एवं बोर्ड का मिलान उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं अन्य परीक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से करा लिया जाय।

2- छात्र/छात्राओं के आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र का मिलान राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से करा लिया जाय।

3- छात्र/छात्राओं के जनपदवार विवरण को राज्य स्तर पर आपस में मिक्सिंग करा लिया जाय तथा डुप्लीकेट छात्रों को सूची से अलग कर दिया जाय एवं सही छात्र/छात्रा का विवरण ही वेबसाइट पर अपलोड रहने दिया जाय।

4- जनपदवार बैंक शाखाओं एवं उनके आई0एफ0एस0 कोड का मिलान करा लिया जाय तथा त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभागीय अधिकारियों के माध्यम से शुद्ध करा लिया जाय।

5– छात्र/छात्रा के विश्वविद्यालय/बोर्ड पंजीयन के कमांक का मिलान संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड की वेबसाइट से करा लिया जाय।

6– छात्र/छात्राओं द्वारा वार्षिक नान रिफन्डेबिल शुल्क रूप में पाठ्यकमवार/संस्थावार भरी गयी शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि का मिलान जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा भरे गये शुल्क स्ट्रक्चर से करा लिया जाय। अधूरा एवं त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उसे ठीक करा लिया जाय।

7– जिन छात्र/छात्राओं का विवरण फर्जी/त्रुटिपूर्ण ढंग से एक बार अग्रसारित हो गया था तथा बाद में सही विवरण अग्रसारित नहीं हो रहा था, ऐसे समस्त संज्ञानित प्रकरणों को आवश्यक जांचोपरान्त ठीक करा लिया जाय।

उक्त कार्य प्रत्येक दशा में उपरोक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित समयावधि में पूर्ण करा लिया जाय।

भवदीय
20.2.14
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या 1261 /64–2–2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ।

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
अनु सचिव